

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुखसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 4796

दिनांक : 23/06/2022

बजट आवंटन आदेश-32

वर्ष 2022-23 की स्थीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या- 45 : Information and Communication

Technology : (B) Maintenance & upgradation of Hardware and IT related equipment, (C) Procurement of High Quality GPS for interactive maps facility में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्थीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 45 : Information and Communication Technology : (B) Maintenance & upgradation of Hardware and IT related equipment,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Total Amount	
1	उ.व.सं. अजमेर	0.60000	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर के यूओ.नोट क्रमांक 817 दिनांक 20.06.2022 के क्रम में
2	उ.व.सं. नागौर	0.60000	
3	उ.व.सं. धौलपुर	0.60000	
4	उ.व.सं. करौली	0.60000	
5	उ.व.सं. झ.गा.न.परि. स्टेज-गा बीकानेर	0.60000	
6	उ.व.सं. हनुमागढ़	0.60000	
7	उ.व.सं. जोधपुर	0.60000	
8	उ.व.सं. जालौर	0.60000	
9	उ.व.सं. पाली	0.60000	
10	उ.व.सं. सिरोही	0.60000	
11	उ.व.सं. दौसा	0.60000	
12	उ.व.सं. झंझुंतू	0.60000	
13	उ.व.सं. कोटा	0.60000	
14	उ.सव.रं. झालावाड़	0.60000	
15	उ.व.सं. बांसवाड़ा	0.60000	
16	उ.व.सं. प्रतापगढ़	0.60000	
17	उ.व.सं. उदयपुर	0.60000	
18	उ.व.सं. वन्य जीव भरतपुर	0.60000	
19	उ.व.सं.एवं उ.क्षि.नि. (प्रथम) रण बाघ परि.	0.60000	
20	उ.व.सं. वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	0.60000	
21	उ.व.सं. वन्य जीव जैसलमेर	0.60000	
22	उ.व.सं. वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही	0.60000	
23	उ.व.सं. वन्य जीव बीकानेर	0.60000	
24	उ.व.सं. एम.एन.पी. कोटा	0.60000	
25	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	0.60000	
			15,00000

APO Item No. 45 : Information and Communication Technology : (C) Procurement of High Quality GPS for interactive maps facility

1	उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	15.00000	जति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रोद्धोगीकी, राजस्थान, जयपुर के यू.ओ. नोट क्रमांक 817 दिनांक 20.08.2022 के क्रम में
	महायोग	30.00000	

*** Term and conditions for Maintenance & upgradation of Hardware and IT related equipment,**

- 1 Budget is proposed (as per column 5) for Maintenance & upgradation of hardware and IT related equipments
- 2 Budget must be utilised for the items in the financial year 2022-23.
- 3 It is very essential to send utilisation certificate (uc) after completion the work. UC to be sent to APCCF CAMPA with CCTO APCCF IT.
- 4 All codal formalities for procurement mandated by Government of Rajasthan must be followed.

*** Term and conditions for GPS connectivity**

- 1 The specification of the GPS shall be as decided last year purchase.
- 2 All GPS shall be distributed as per directions of APCCF IT.
- 3 Procurement of high quality GPS for interactive maps facility is only for dff's
- 4 Budget must be utilised for the items in the financial year 2022-23.
- 5 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुखवास/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 6 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार हो करें।
- 7 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules), के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 8 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 9 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 10 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 11 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय समिलित नहीं किया जावे।
- 12 कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 13 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 14 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 15 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 16 कैम्पा से आवंटित बजट उर्ही कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 17 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिया में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रदृष्टि अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

18 कैम्पा भद्र के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Shrikha
(श्रीखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

फ्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ ५७९७—५८३८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

दिनांक: 23/06/2022

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर
- 3 मुख्य वन संरक्षक —अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेखा है कि समय—समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा बांचित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक— अजमेर/नागौर/धौलपुर/करौली/दौसा/झुंझुनू/जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/ज्ञालावाड़/कोटा/इ.गा.न. परि. स्टेज—ा बीकानेर/हनुमांगनढ़/बांसवाड़ा/षटापगढ़/उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/ज.कौ.नि. (प्रथम) रण. बाध परि. सरवाई माधोपुर/वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर/वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव आवू पर्वत सिरोही/वन्य जीव बीकानेर/एम.एन.पी. कोटा/वन्य जीव उदयपुर।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

०८
(आकृक्षा जोशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।